Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत **न्यायालय सहायक कलक्टर राशमी** मुकाम **राशमी**

सत्तार बनाम **जान मोहम्मद वगैराह**

किस्मा मुकदमा **राजस्व प्रार्थना पत्र** नं० **42** सन् **2018**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	राजस्व प्रार्थना पत्र बाद जांच पेश हुआ। वकील प्रार्थी जीएस गिलूण्डिया हाजिर। प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रार्थी की ओर से हाजिर अधिवक्ता ने अन्तरिम बहस हेतु निवेदन किया गया। हाजिर अधिवक्ता के निवेदन को स्वीकार कर अंतरिम बहस करने का आदेश दिया गया जिस पर हाजिर अधिवक्ता द्वारा अंतरिम बहस प्रार्थना-पत्र की गई। हमने अधिवक्ता द्वारा की गई बहस को एक तरफा सुना। अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस में निवेदन कर अप्रार्थीगण के विरुद्ध अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित कराना चाहता है। हमनें वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का अवलोकन किया। दस्तावेजात नकल जमाबन्दी, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र का अवलोकन किया। मनन किया। वकील प्रार्थी के निवेदन को एक तरफा अंतरिम रूप से स्वीकार किया जाकर अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा अप्रार्थीगण के विरुद्ध इस आशय की जारी की जाकर अप्रार्थीगण को आगामी पेशी/दिनांक तक पाबन्द किया जाता है कि अप्रार्थीगण मौजा पावली पटवार हल्का पावली तहसील राशमी में स्थित विवादित आराजीयात आराजी संख्या 322, 323, 328 में अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के हक हिस्से कब्जे काश्त में किसी प्रकार दखलन्दाजी, रुकावट, अवरोध, बाधा पैदा, रहन/बह नहीं करे, तथा मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथा स्थिति कायम रखें। ऐसा न तो वह स्वयं करे नहीं अपने परिवारजन, नौकर एजेण्ट के माध्यम से ऐसा करावें। इसमें यदि अप्रार्थीगण कोई एतराज हो तो दिनांक 26.09.2018 को प्रातः 10.00 बजे न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें। अप्रार्थीगण को इसी आशय का हुक्मनामा मय नकल प्रार्थना-पत्र जारी कर तलब किया जावें। पत्रावली वास्ते जवाब प्रार्थना-पत्र दिनांक <u>26.09.2018</u> को पेश हों। सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) राशमी 25/09/18 पत्रावली पेश हुइ। उभयपक्ष अधिवक्ता हाजिर। श्रीमान् पीओ साहब अवकाश/चुनाव/दीगर/दौरे कार्य मे व्यस्त है। पत्रावली वास्ते जवाब ... दिनांक 25/10/18 को पेश हो।	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	24/10/18 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता हाजिर। श्रीमान् पीओ साहब अवकाश/चुनाव/दीगर/दौरे कार्य मे व्यस्त है। पत्राबली वास्ते [illegible] दिनांक 31-10-18 को पेश हो।	[illegible] पेशी
	31-10-18 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता हाजिर। श्रीमान् पीओ साहब अवकाश/चुनाव/दीगर/दौरे कार्य मे व्यस्त है। पत्राबली वास्ते [illegible] दिनांक 14-11-18 को पेश हो।	
	14-11-18 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता हाजिर। श्रीमान् पीओ साहब अवकाश/चुनाव/दीगर/दौरे कार्य मे व्यस्त है। पत्रावली वास्ते [illegible] दिनांक 10-12-18 को पेश हो।	
	10/12/18 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता हाजिर श्रीमान् पीओ साहब अवकाश/चुनाव/दीगर/दौरे कार्य मे व्यस्त है। पत्रावली वास्ते [illegible] दिनांक 30/01/19 को पेश हो।	
17-12-18 Not Press [illegible] पत्रावली [illegible]	अधिवक्ता प्रार्थी के निवेदन पर पत्रावली सिराहे से तलब की गई। पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी स्वयं हाजिर। प्रार्थी की पहचान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा की गई। हाजिर अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया गया कि प्रकरण में पक्षकारान में आपसी राजीनामा हो चुका है अत: प्रकरण में कार्यवाही समाप्त की जावे। प्रार्थना पत्र शामिल पत्रावली रहे। नकल प्रार्थना पत्र अधिवक्ता अप्रार्थी को दिलवाई गई। जिस पर अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा No objection किया गया। पूर्व में दिनांक 24-10-18 को अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया जो शामिल पत्रावली है। रिकार्ड पर लिया जाता है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। हाजिर अधिवक्ता प्रार्थी को [illegible] प्रार्थना पत्र [illegible] की गई	

(बनवारी लाल)
सहायक कलेक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलेक्टर मुकाम : राशमी

सत्तार बनाम ज्ञान मै०

किस्म मुकदमा राजस्व प्रकरण नं. 42 सन् 2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	बाबत कार्यवाही बिड्डो, को एकतरफा सुना। मनन किया। प्रार्थी स्वयं अपना प्रार्थना पत्र नहीं चलाना चाहते है। ऐसी स्थिति में अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत कार्यवाही बिड्डो, को स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत अन्तर्गत धारा 212 RTA को बिड्डोल में खारिज किया जाता है। इस न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 20-8-18 को, अपास्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। प्रार्थना पत्र बाद तकमील शुमारी मूल वाद संख्या 65/2018 के साथ शामिल रहे। आदेश सुनाया गया। (बनवारी लाल) सहायक कलेक्टर, (उपखण्ड अधिकारी) राशमी 17-12-18	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official